न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुरेश कुमार, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 19/2021 FSSA

1. सरकार जरिये श्री महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा । — आवेदक—

बनाम

1. श्री अनिल कुमार पुत्र श्री महावीर प्रसाद जैन विक्रेता एवं मालिक मैसर्सः— पंसारी ट्रेडिंग कम्पनी, बांदीकुई रोड, सिकन्दरा चौराहा तहसील सिकराय जिला दौसा।
2. श्री मोहन लाल झालानी प्रोपराईटर मैसर्सः—कृष्णा मार्केटिंग, एच—4, अनाज मण्डी, सूरजपोल जयपुर
3. श्री रतन लाल सांखला, प्रोपराईटर **M/S- Sankhla Traders, Near New Kekri Transpost Company, Opp State Ware House Godown, Parao, Ajmer Rajasthan.**
4. श्री रोहित छुगानी पार्टनर, **M/S- Rohit Foods, 402, Ranbanka Royale, Circukt House Road, Jodhpur.**
5. श्रीमति लक्ष्मी छुगानी पार्टनर **M/S- Rohit Foods, 402, Ranbanka Royale, Circukt House Road, Jodhpur.**
6. श्रीमति नेहा छुगानी पार्टनर **M/S- Rohit Foods, 402, Ranbanka Royale, Circukt House Road, Jodhpur.**
7. श्री श्याम सुन्दर छुगानी प्रोपराईटर **M/S- Shyam Oils, Ex. Diwan House, Ghas Mandi, Jodhpur.**
8. श्री चन्द्र प्रकाश नौलखा पार्टनर **M/S- Amrit Udyog, F-144, 147, Bichwal Industrial Area, Bikaner.**
9. श्री संदीप कुमार नौलखा पार्टनर **M/S- Amrit Udyog, F-144, Bichwal Industrial Area, Bikaner.**

— अभियुक्तगण—

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: श्री एस. पी. गर्ग अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 1 लगा.4 एवं 7 व 8 उपस्थित।

—: आदेश :— दिनांकः— 12.07.2023

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कार्यालय में कार्य सम्पादन कर रहे थे। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना (नोटिफिकेशन) क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.11 के अनुसार आवेदक को खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया था तथा श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश क्रमांक 475 दिनांक 10.08.2011 के द्वारा आवेदक को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र जिला दौसा आवंटित किये गये थे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 15.12.2020 को दोपहर पूर्व 11:30 बजे मैसर्सः—पंसारी ट्रेडिंग कम्पनी, बांदीकुई रोड सिकन्दरा चौराहा तहसील सिकराय जिला दौसा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय विक्रेता श्री अनिल कुमार पुत्र श्री महावीर प्रसाद जैन उपस्थित मिला। विक्रेता ने स्वयं को उक्त दुकान का मालिक होना बताया। विक्रेता को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ लाईसेन्स दिखाने के लिये कहा तो उसने खाद्य पदार्थ लाईसेन्स होना जाहिर किया। निरीक्षण के समय विक्रेता की दुकान पर चार कार्टून में 1 लीटर पैकिंग में पैक रिफाइण्ड मूंगफली तेल(सोना सिक्का)(12 बोटल X 1 लीटर X 4 कार्टून) आम जनता को विक्रय हेतु रखा हुआ था। इसमे मिलावट का शक होने पर इसमे से नमूने की जांच हेतु 4 मूल पैक बोतल 1 लीटर रिफाइण्ड मूंगफली तेल(सोना सिक्का) खरीदा। जिसकी कीमत 689 रूपये नकद देकर बिल प्राप्त किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूने के लिये खरीदशुदा रिफाइण्ड मूंगफली तेल(सोना सिक्का) की चार बोतलो के लिये चार लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व एफ.बी.ओं. के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को बोतलों पर चिपकाकर बोतलों को अलग—अलग एक खाकी कागज में लपेटकर बोतलों पर डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर ए.जी.—2548 गोंद से चिपकाकर बोतलों को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर बोतलों को चार—चार जगह से चपडी से सील मोहर कर बोतलों पर एफबीओ(विक्रेता) व गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारो सील बन्द बोतलों को अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं0 6 की एक प्रति व नमूने की एक सील बंद बोतल एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं0 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने की एक सील बंद बोतल व फार्म नं0 6 का सील बंद लिफाफा श्री महादेव प्रसाद सैनी च.श्रे.क. मुख्यालय द्वारा दिनांक 16.12.2020 को खाद्य विश्लेषक राज. अलवर के यहां जमा करवाये। नमूने के दो सील बन्द बोतल व फार्म नं0 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 16.12.2020 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा नमूने की चतुर्थ सीलबंद बोतल व फार्म नं0 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 16.12.2020 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

उक्त खाद्य पदार्थ रिफाइण्ड मूंगफली तेल(सोना सिक्का) के नमूने की खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस. / 1287 / एक्ट / 2020 / 105 दिनांक 14.01.2021 के अनुसार मिसब्राण्ड पाया गया है। नमूना मिसब्राण्ड पाये जाने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थीगण अभियुक्तगण के विरूद्ध न्याय निर्णय आवेदन पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण अभियुक्तगण की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अधिवक्ता अप्रार्थीगण अभियुक्तगण की बहस सुनी गई।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस. / 1287 / एक्ट / 2020 / 105 दिनांक 14.01.2021 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ रिफाइण्ड मूंगफली तेल(सोना सिक्का) का जो नमूना लिया गया था। उसके लेबल पर **Ingredients** सम्बन्धित सूचना **Name of INS No. of antioxidant added in the oil not mentioned** होने के कारण यह खाद्य पदार्थ मिसब्राण्ड पाया गया है। जो कि रेगुलेशन नम्बर **2.2.2(5)(i) of food safety and standards (Packagind and Labelling) Regulation 2011** का उल्लंघन होना पाया गया है। अभियुक्तगण संख्या 1 लगायत 9 द्वारा मिसब्राण्ड रिफाइण्ड मूंगफली तेल(सोना सिक्का) का विक्रय कर रेगुलेशन नम्बर **2.2.2(5)(i) of food safety and standards (Packagind and Labelling) Regulation 2011** तथा धारा **3(1)(zf)(C)(i) of food safety and standard act 2006** का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएसए 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थी अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया कि अभियुक्त संख्या 1 लगायत 7 द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ सोना सिक्का तेल मैसर्स अमृत उद्योग बीकानेर से खरीदा गया था। **M/S- Amrit Udyog, F-144, Bichwal Industrial Area, Bikaner.** उक्त खाद्य पदार्थ सोना सिक्का तेल के उत्पादनकर्ता है। अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 8 श्री चन्द्रप्रकाश पुत्र मूलचन्द द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र में भी उक्त तथ्य को स्वीकार करते हुये निवेदन किया गया है अप्रार्थी संख्या 8 व 9 चन्द्रप्रकाश एवं संदीप कुमार एक ही कम्पनी **M/S- Amrit Udyog, F-144, Bichwal Industrial Area, Bikaner.** के पार्टनर है। जिनके द्वारा अभियुक्त संख्या 1 लगायत 7 को खाद्य पदार्थ सोना सिक्का तेल सोना सिक्का तेल विक्रय किया गया था। अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा उक्त प्रकरण में कम से कम जुर्माना लगाया जाकर प्रकरण का निस्तारण करने का निवेदन किया गया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस. / 1287 / एक्ट / 2020 / 105 दिनांक 14.01.2021 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ रिफाइण्ड मूंगफली तेल(सोना सिक्का) के लेबल पर **Ingredients** सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी अंकित नहीं होने के कारण यह नमूना मिसब्राण्ड पाया गया है। जो कि रेगुलेशन नम्बर **2.2.2(5)(i) of food safety and standards (Packagind and Labelling) Regulation 2011** का उल्लंघन है। अप्रार्थीगण अभियुक्त संख्या 1 लगायत 9 द्वारा मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ रिफाइण्ड मूंगफली तेल(सोना सिक्का) का विक्रय कर रेगुलेशन नम्बर **2.2.2(5)(i) of food safety and standards (Packagind and Labelling) Regulation 2011** तथा धारा **3(1)(zf)(C)(i) of food safety and standard act 2006** का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएसए 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थीगण अभियुक्तगण द्वारा मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ रिफाइण्ड मूंगफली तेल(सोना सिक्का) का विक्रय किये जाने पर अपराध कारित होने के फलस्वरूप अप्रार्थीगण अभियुक्तगण संख्या 1 लगायत 9 पर 25000 / – (अक्षरे पच्चीस हजार रूपये) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थीगण अभियुक्तगण उक्त राशि निर्णय दिनांक 12.07.2023 के एक माह के अन्दर–अन्दर निर्धारित मद में जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 12.07.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(सुरेश कुमार)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

प्रकरण संख्या : 19/2021 FSSA

क्रमांक/FSSA/ दिनांकः– .07.2023

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री अनिल कुमार पुत्र श्री महावीर प्रसाद जैन विक्रेता एवं मालिक
   मैसर्सः– पंसारी ट्रेडिंग कम्पनी, बांदीकुई रोड, सिकन्दरा चौराहा तहसील सिकराय जिला दौसा।
4. श्री मोहन लाल झालानी प्रोपराईटर
   मैसर्सः–कृष्णा मार्केटिंग, एच–4, अनाज मण्डी, सूरजपोल जयपुर
5. श्री रतन लाल सांखला, प्रोपराईटर
   M/S- Sankhla Traders, Near New Kekri Transpost Company, Opp State Ware House Godown, Parao, Ajmer Rajasthan.
6. श्री रोहित छुगानी पार्टनर,
   M/S- Rohit Foods, 402, Ranbanka Royale, Circukt House Road, Jodhpur.
7. श्रीमति लक्ष्मी छुगानी पार्टनर
   M/S- Rohit Foods, 402, Ranbanka Royale, Circuit House Road, Jodhpur.
8. श्रीमति नेहा छुगानी पार्टनर
   M/S- Rohit Foods, 402, Ranbanka Royale, Circuit House Road, Jodhpur.
9. श्री श्याम सुन्दर छुगानी प्रोपराईटर
   M/S- Shyam Oils, Ex. Diwan House, Ghas Mandi, Jodhpur.
10. श्री चन्द्र प्रकाश नौलखा पार्टनर
    M/S- Amrit Udyog, F-144, 147, Bichwal Industrial Area, Bikaner.
11. श्री संदीप कुमार नौलखा पार्टनर
    M/S- Amrit Udyog, F-144, Bichwal Industrial Area, Bikaner.

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(सुरेश कुमार)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा